छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

7, कैलाश रेसीडेंसी, गीताजंली नगर,
मीरादातार रोड, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771–2443809, फैक्स : 0771–4045211

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, रायपुर, की अधिसूचना कमांक एफ 10–01/2011/16 दिनांक 21.03.2012 द्वारा अभिदाय में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982, की धारा 9 की उपधारा (2) (क) (ख) में निर्धारित अभिदाय दरो में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :–

(क) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापना के रजिस्टर में 30 जून या 31 दिसम्बर को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छःमाह में देय अभिदाय की रकम रूपये 6/– (छः मात्र) के स्थान पर रूपये 15/– (पन्द्रह मात्र) होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए नियोजक द्वारा प्रत्येक छःमाह में देय अभिदाय की रकम रूपये 18/– (अठ्ठारह मात्र) के स्थान पर रूपये 45/– (पैतालिस मात्र) देय होगी।

(ख) प्रत्येक छःमाह में देय नियोजक का न्यूनतम अभिदाय रूपये 500/– (पांच सौ मात्र) के स्थान पर रूपये 1500/– (पन्द्राह सौ मात्र) से कम नही होगा।

श्रमिक अभिदाय राशि रूपये	नियोजक अभिदाय राशि रूपये	न्यूनतम अभिदाय राशि रूपये
रूपये 15/–	रूपये 45/–	रूपये 1500/–

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.01.2011 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जब से यह अभिदाय वृद्धि प्रभावशील होगी। राज्य के समस्त ऐसे कारखाने एवं स्थापनाएँ जिन पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के समस्त उपबंध प्रभावशील है पर यह वृद्धि प्रभावशील होगी।

अतः नियोजक एवं नियुक्त से अपील है की वे उपरोक्तानुसार अभिदाय राशि जमा करावें।

(राजेश श्रीवास्तव)
कल्याण आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त
श्रम विभाग, रायपुर

13 Jun 2012 1:14PM HP LASERJET FAX 07714045211 p.1